## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस**

अपील सं0 2019/00079 (79/2019) 223 आरटीएक्ट

1. डूंगरराम पुत्र लालचन्द जाति ब्राम्हण निवासी सरदारपुरा खालसा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. पवन कुमार पुत्र श्री लालचन्द जाति ब्राम्हण निवासी सरदारपुरा खालसा रावतसर जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. बलराम पुत्र लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मटोरिया वाली ढाणी हाल निवासी प्रेमनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. चन्द्रभान पुत्र श्री लालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी मटोरियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2019 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर, प्र0 सं0 359/2018 बलराम बनाम डूंगरराम

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता. रेसपोडेण्ट रेस्पो0 3

निर्णय दिनांकः– 31.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बलराम ने धारा 53 व 188 आरटीएक्ट में एक वाद प्रस्तुत किया कि चक 6 एसपीएम की 5.060 है0 मय गैरमुमकिन खाला भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खाता की भूमि होने एवं कब्जा काश्त की भूमि होने का कथन करते हुए अच्छी मंदी किस्म के अनुसार खाता विभाजन करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के नाम सांझा खाता व सांझा कब्जा काश्त की भूमि तहसील चक 6 एस.पीएम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

में 5.060 है,ग्राम देवासर पटवार हल्का कानसर में 5.0950 है0, चक 16 एमडी पटवार हल्का मटारियां वाली ढाणी तहसील हनुमानगढ में 1.2400 है, व ग्राम स्वरूपदेसर तहसील रावतसर में 2.41600 कुल 9.1450 है. बारानी भूमि ब0हि0ब0 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का भी अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का वाद डिक्री किया है लेकिन अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय नहीं किया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्राथमिक डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपने काउण्टर क्लेम में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था जिसमे अपलाण्ट ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को साबित किया था कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि को रहन बैय अथवा अन्य किसी तरीके से अपीलाण्ट को कब्जा बेदखल कर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर सकते है। अपने काउण्टर क्लेम को दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतः साबित किया था एवं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू साबित किये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम पर बिना कोई निर्णय पारित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद केवल मात्र 6 एसपीएम का ही दावा डिक्री नही किया बल्कि अपीलाण्ट द्वारा बताई गई तीनों तहसीलों की भूमि के संबंध में प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तीनों तहसीलों के तहसीलदार से अलग अलग खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश दिये हैं। काउण्टर क्लेम में अंकित भूमि निर्णय एवं डिक्री में शामिल कर ली गई है। सिर्फ यह अंकित होने सह रह गया है कि काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है, जो एक लिपिकिया त्रुटि है और इस लिपिकिय त्रुटि के आधार पर अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 147, 2003 (2) आरआरटी पेज 1216 व 2005 आरबीजे पेज 64 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का वाद खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा था जिसमें तहसील रावतसर की 6 एसपीएम की 5.060 है0 भूमि के संबंध में अनुतोष चाहा गया था। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि चक 6 एसपीएम की 5.060 है. भूमि के अतिरिक्त भी अन्य तहसीलों में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में भूमि है उनको भी इस भूमि में शामिल किया जावे। प्रकरण में जवाबुलजवाब पेश नही करने के कारण जवाब बन्द किया गया।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने चक 6 एसपी की 5.060 है. भूमि के साथ साथ ग्राम देवासर पटवार हल्का कानसर के ख. नं. 514 की 5.095 है. बारानी, चक 6 एमडी पटवार हल्का मटोरिया वाली ढायी की 1.240 है. कमाण्ड मय खाला व ग्राम स्वरूपदेसर 2.416 है. कुल 9.145 है. भू ि के संबंध में अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार राजस्व रावसतर/नोहर/हनुमानगढ को कमिश्नर नियुक्त करते हुए प्रस्ताव तैयार कर माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार रास्ता खाला को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव मुताबिक राजस्व रिकार्ड के हिस्सा अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर मय नजरी नक्शा पेश करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय अस्पष्ट है। इस निर्णय से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट के काउण्टर के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है। काउण्टर क्लेम स्वीकार किया गया है अथवा खारिज किया गया है यह निर्णय स्पष्ट नहीं होता है। काउण्टर क्लेम के सम्बन्ध में स्वीकार अथवा खारिज का आदेश अपेक्षित था जो नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.04.2019 निरस्त किया जाता है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह काउण्टर क्लेम के स्वीकार अथवा अस्वीकार के संबंध में स्पष्ट आदेश परित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.14 18:21:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: